



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-607

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 309993 दिनांक 30/06/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Om Dukiya S/o Late. Sangram Singh Dukiya एवं Yash Vardhan Dukiya S/o SANGRAM SINGH DOOKIA	श्रीमती सरोज इकिया पत्नी श्री संग्राम सिंह इकिया	18	88.89 SQ. YARD	Private	TEJAJI NAGAR Sector/Block-CS	Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta)	सर्व श्री ओम इकिया, यशवर्धन इकिया पुत्रान स्व. श्री संग्राम सिंह इकिया द्वारा निजी खातेदारी योजना तेजाजी नगर के भूखण्ड संख्या सीएस-18 क्षेत्रफल 88.89 व.ग. का फ्री होल्ड पट्टा चाहने हेतु आवेदन किया गया है। इस हेतु आवेदक द्वारा श्रीमती सरोज इकिया पत्नी श्री संग्राम सिंह इकिया के पक्ष में जारी पंजेशन लेटर, साईट प्लान, एनओसी, श्रीमती सरोज इकिया पत्नी श्री संग्राम सिंह इकिया का मृत्यु प्रमाण-पत्र दिनांक 28.04.2016, श्री संग्राम सिंह इकिया की मृत्यु दिनांक



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

12.11.2008,
सरपंच, सरपंच,
ग्राम पंचायत
मांगलोद से
हस्ताक्षरित
उत्तराधिकारी
प्रमाण श्री
ओमप्रकाश डूकिया
पुत्र स्व. श्री
संग्राम सिंह
डूकिया द्वारा
अपने नाम
परिवर्तन के संबंध
में राजस्थान
राज-पत्र दिनांक
19.03.2015
प्रस्तुत किया गया
है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Om Dukiya S/o Late. Sangram Singh Dukiya एवं Yash Vardhan Dukiya S/o SANGRAM SINGH DOOKIA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।